

आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3

27/2/20  
42-09-19

अभिलेख उपस्थापित।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 17-8-15 से उभय पक्ष लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष की वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। फलस्वरूप वाद की कार्रवाई संचालित करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उभय पक्ष की अभिरुचि के अभाव में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित

L.  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
दुमका।

L.  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
दुमका।